


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1716]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 11, 2016/आषाढ़ 20, 1938

No. 1716]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 11, 2016/ASADHA 20, 1938

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2016

का.आ. 2356(अ).— केन्द्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 11ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की प्रथम अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

प्रथम अनुसूची के भाग ख में प्रविष्टि 11 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अंतः स्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

“12. तटीय बालू खनिज, अर्थात्, टेरी या तटीय बालू में पाए गए लाभदायक भारी खनिज, जिनके अंतर्गत इलामेनाइट, रूटाइल, लियोकोक्सीन, गार्नेट, मोनाजाइट, जिर्कोन और सिलीमेनाइट भी हैं।”

[फा. सं. 1/16/2015-एम. VI]

आर. श्रीधरन, अपर सचिव

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th July, 2016

S.O. 2356(E).— In exercise of the powers conferred by section 11C of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following further amendments to the First Schedule of the Act, namely:—

In the First Schedule, in Part B, after entry 11, the following entry shall be inserted, namely:—

“12. **Beach sand minerals**, that is, economic heavy minerals found in the teri or beach sands, which include ilmenite, rutile, leucoxene, garnet, monazite, zircon and sillimanite.”

[F. No.1/16/2015-M.VI]

R. SRIDHARAN, Addl. Secy.

3461 GI/2016